रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 459] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 26, 1988/भाद्रपद 4, 1910

No. 459] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 26, 1988/BHADRA 4, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1988

अधिसूचना

सा.का.नि. 883(अ).—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 24 के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

2. इस प्रकार विनिर्दिष्ट कालावधि से पूर्व उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और विस्तार—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असंवितरित मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1988 है ।

(2) ये नियम किसी ऐसी खान में जिसको खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) लागू होता है या किसी तेल क्षेत्र में स्वामी द्वारा या स्वामी द्वारा लगाए गए किसी ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्तियों को असंवितरित मजदूरी के संदाय की बाबत लागू होंगे ।

(3) इनका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा ।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) "मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)" से केन्द्रीय सरकार द्वारा उस रूप में नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "नियोजक" से खान का स्वामी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मजदूरी के संदाय के लिए अधिनियम की धारा 3 के अधीन उत्तरदायी कोई ठेकेदार अभिकर्ता, प्रबंधक या कोई अन्य व्यक्ति भी है और इसके अन्तर्गत मृतक नियोजक की दशा में उसका विधिक प्रतिनिधि भी है;

(घ) "कुटुम्ब" से—

(1) किसी पुरुष कर्मचारी की दशा में उसकी पत्नी या पत्नियां और बालक चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और विधवा और उसके मृतक पुत्र के बालक भी अभिप्रेत हैं;

(2) किसी महिला कर्मचारी की दशा में उसका पति, उसके बालक चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता, उसके पति के आश्रित माता-पिता और उसके मृतक पुत्रों की विधवाएं और बालक अभिप्रेत हैं;

(ङ) "प्ररूप" से इन नियमों के उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत हैं;

(च) "खान" से खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 2 के खण्ड (ञ) में यथा परिभाषित खान अभिप्रेत है;

(छ) "व्यक्ति जो नियोजित किया गया" या "नियोजित व्यक्ति" या "कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी खान में या किसी ऐसे तेल क्षेत्र में नियोजित है जिसको अधिनियम लागू होता है और इसके अन्तर्गत मृतक नियोजित व्यक्ति की दशा में, उसका विधिक प्रतिनिधि भी है;

(ज) 'विवाहित प्राधिकारी" से,—

(i) केन्द्रीय सरकार के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों की स्वामित्वाधीन या उनके द्वारा प्रचालित खानों की दशा में, सम्बद्ध पब्लिक सैक्टर उपक्रम का मुख्य कार्यपालक अभिप्रेत है ;

(ii) खण्ड (i) के अन्तर्गत आने वाली खानों से भिन्न किन्तु उन खानों की दशा में जो अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946, चूना-पत्थर और डालोमाइट श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 और लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान, और क्रोम अयस्क खान कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत आती हैं, पूर्वोक्त वर्णित अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन नियुक्त कल्याण आयुक्त अभिप्रेत है;

(iii) ऐसी अन्य सभी खानों की दशा में जो खण्ड (i) और खण्ड (ii) के अन्तर्गत नहीं आती है, सम्बद्ध प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) अभिप्रेत है;

(झ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ञ) "असंवितरित मजदूरी" से वह रकम अभिप्रेत है जो नियोजित व्यक्ति को ऐसी मजदूरी के रूप में देय है जिसका उसकी मृत्यु के कारण या उसका पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण संदाय नहीं किया जा सका या नहीं किया जा सकता है ;

(ट) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके अधिनियम में हैं ।

3. नामनिर्देशन : (1) ऐसा व्यक्ति जो असंवितरित मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1988 की तारीख को पहले ही नियोजन में है, सामान्यतया ऐसी तारीख से छह मास के भीतर और ऐसा व्यक्ति जो उक्त नियमों के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् नियोजित किया गया है, सामान्यतया उस तारीख से जिसको वह नियोजित किया जाता है, तीन मास के भीतर ऐसे व्यक्ति को नामनिर्देशित करेगा और उसे असंवितरित मजदूरी के रूप में संदेय सभी रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करेगा तथा ऐसा नामनिर्देशन प्ररूप I में होगा और नियोजित व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत तामील करके उसकी सम्यक् रसीद प्राप्त करने के पश्चात् या नियोजक को सम्यक् रसीदी रजिस्ट्री डाक के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा।

परन्तु नामनिर्देशन नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी स्वीकार किया जाएगा यदि वह विलंब के उचित कारणों के साथ फाइल किया गया हो और इस प्रकार स्वीकार किया गया कोई भी नामनिर्देशन मात्रतया इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि वह विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात् फाइल किया गया था।

(2) उपनियम (1) के अधीन नामनिर्देशन की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर नियोजक नामनिर्देशन के प्ररूप में यथावर्णित नियोजित व्यक्ति की सेवा की विशिष्टियों को खान के अभिलेखों के प्रति निदेश से सत्यापित करवाएगा और नियोजक द्वारा प्ररूप 1 की एक सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित प्रतिनियोजित व्यक्ति को दी जाएगी।

(3) यदि, नामनिर्देशन करने के समय किसी नियोजित व्यक्ति का कोई कुटम्ब है तो नामनिर्देशन उसके कुटुम्ब के सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जाएगा ।

(4) यदि नामनिर्देशन कर के समय, नियोजित व्यक्ति का कोई कुटुम्ब नहीं है तो नामनिर्देशन किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकेगा किन्तु नियोजित व्यक्ति का बाद में ज्यों ही कोई कुटुम्ब होगा त्यों ही ऐसा नामनिर्देशन तुरन्त अविधिमान्य हो जाएगा और नियोजित व्यक्ति, ऐसा कुटुम्ब अर्जित करने के तीन दिन के भीतर, प्ररूप 2 में एक नया नामनिर्देशन दो प्रतियों में नियोजक को प्रस्तुत करेगा और तत्पश्चात् उपनियम (2) के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे लागू होंगे मानो वह उपनियम (1) के अधीन किया गया हो।

(5) यदि नामनिर्देशिती की नियोजित व्यक्ति से पहले मृत्यु हो जाती है तो नामनिर्देशिती का हित उस नियोजित व्यक्ति को प्रत्यावर्तित हो जाएगा जो नामनिर्देशिती की मृत्यु से तीस दिन की कालावधि के भीतर, इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति में एक नया नामनिर्देशन करेगा।

(6) नामनिदेशन के उपांतरण की सूचना जिसके अन्तर्गत ऐसे मामले हैं जहां किसी नामनिर्देशिती की नियोजित व्यक्ति से पहले मृत्यु हो जाती है, प्ररूप 3 में दो प्रतियों में उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति से नियोजक को भेजी जाएगी और तत्पश्चात् उपनियम (2) के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे लागू होंगे मानो वह उपनियम (1) के अधीन किया गया हो ।

(7) नियोजित व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को नामनिर्देशित नहीं करेगा जो अवयस्क है ।

(8) नामनिर्देशन या नए नामनिर्देशन या नामनिर्देशन के उपांतरण की सूचना पर नियोजित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे या वह निरक्षर हो तो उस पर ऐसे दो साक्षियों की उपस्थिति में उसके अंगूठे के निशान होंगे जो यथास्थिति, नामनिर्देशन, नया नामनिर्देशन या नामनिर्देशन के उपांतरण की सूचना में उस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करेंगे।

(9) नामनिर्देशन या नया नामनिर्देशन या नामनिर्देशन के उपांतरण की सूचना नियोजक द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगी ।

4. नामनिर्देशन का रजिस्टर : (1) नियोजक यथास्थिति, सभी नामनिर्देशनों, नए नामनिर्देशनों और नामनिर्देशनों के उपांतरण की सूचना को नामनिर्देशनों के रजिस्टर में अभिलिखित करेगा और फाइल करेगा जिन्हें प्ररूप 4 में उसके द्वारा कालानुक्रम रूप से बनाए रखा जाएगा ।

(2) नामनिर्देशन के रजिस्टर नियोजक द्वारा अद्यतन बनाए रखे जाएंगे और कार्य-स्थल पर स्थायी रूप से रखे जाएंगे या जहां नियोजक को कार्य-स्थल पर उन्हें रखने में कोई कठिनाई अनुभव होती है तो किसी ऐसे अन्य उचित स्थान पर बनाए रखे जाएंगे जो विहित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किए जाएं।

5. असंवितरित मजदूरी की रकम का निक्षेप :

(1) जहां खानों के संबंध में किसी स्थापन में नियोजित किसी व्यक्ति को मजदूरी के रूप में देय सभी रकम इसलिए असंवितरित रहती है कि या तो नियोजित व्यक्ति द्वारा कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है या किसी अन्य कारणवश ऐसी रकम का उस तारीख से जिसको वह देय हो गई है, तीन वर्ष की समाप्ति तक नियोजित व्यक्ति के नामनिर्देशिती को संदाय नहीं किया जा सका या वहां ऐसी सभी रकम नियोजक द्वारा तीन वर्ष की उक्त कालावधि के अन्तिम दिन के पश्चात् पन्द्रहवें दिन की समाप्ति के पूर्व विहित प्राधिकारी के पास निक्षिप्त करा दी जाएगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम नियोजक द्वारा विहित प्राधिकारी के नाम में भारत के किसी अनुसूचित बैंक से अभिप्राप्त रेखांकित मांग ड्राफ्ट के माध्यम से निक्षिप्त की जाएगी और ऐसा मांग ड्राफ्ट प्ररूप 5 में सुसंगत ब्यौरों सहित रजिस्ट्री डाक द्वारा विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

6. असंवितरित मजदूरी के संबंध में कार्रवाई करने की रीति :

(1) विहित प्राधिकारी के पास निक्षिप्त रकम पांच वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी के पास रहेगी और केन्द्र या राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में विनिहित की जाएगी या राष्ट्रीयकृत बैंकों में निक्षिप्त की जाएगी।

(2) विहित प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र खान(नों) के सूचना पटल पर कम से कम 14 दिन तक प्रदर्शित करेगा और खान(नों) जिसमें/जिनमें असंवितरित मजदूरी उपार्जित की गई थी, के क्षेत्र में सामान्य रूप से समझी जाने वाली भाषा में परिचालित होने वाली किन्हीं दो समाचारपत्रों में भी प्रकाशित कराएगा।

(3) विहित प्राधिकारी रकम को उस नामनिर्देशिती या उस व्यक्ति को देगा जिसका इस रकम पर दावा है और जिसका सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय द्वारा विनिश्चय किया गया है ।

(4) निक्षिप्त रकम, उस तारीख से जिसको रकम नियोजक द्वारा विहित प्राधिकारी के पास निक्षिप्त की जाती है, चार वर्ष के व्यपगत हो जाने के पश्चात्, विहित प्राधिकारी द्वारा उन उपायों के संबंध में उपगत होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए उपयोजित की जाएगी जो उसकी राय में खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए समीचीन है और विशेषकर खानों में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए ऐसी कार्यवाहियों की लागत को चुकाने के लिए उपयोजित की जाएगी जो निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए हैं,—

(i) शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था और उनमें सुधार;

(ii) मनोरंजन संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था और उनमें सुधार;

(iii) परिवार कल्याण जिसके अन्तर्गत परिवार नियोजन भी है, की व्यवस्था और उनमें सुधार;

(iv) व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था और उसमें सुधार, निःशक्त और विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास; और

(v) परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था और उनमें सुधार;

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट उपायों के संबंध में किसी खान या किसी खान में नियोजित व्यक्तियों के व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यवसाय संघ के संबंध में नियोजक द्वारा उपगत होने वाले व्यय की विहित प्राधिकारी द्वारा सम्बद्ध व्यक्ति को उसके स्वविवेकानुसार पूर्णतः या भागतः प्रतिपूर्ति की जाएगी, परन्तु वह तब जब कि उसका यह समाधान हो गया हो कि व्यय वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट वास्तविक प्रयोजन के लिए उपगत किया गया है ।

प्ररूप 1

[नियम 3 का उपनियम (1) में देखिए]

नामनिर्देशन

सेवा में,

(यहां खान के नाम और पूरे पते सहित नियोजक का नाम और पता दें)

मैं .... जिसकी विशिष्टियां नीचे विवरण में दी गई हैं,
(यहां पूरा नाम दें)
मजदूरी के रूप में मुझे देय सभी रकम प्राप्त करने के लिए नीचे वर्णित व्यक्ति को नामनिर्देशित करता हूं यदि ऐसी रकम का संदाय के पूर्व मेरा मृत्यु के कारण या मेरा पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण संदाय न किया जा सके या न किया जा सकता हो।

2. मैं यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति संवितरित मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1988 के नियम 2 के खण्ड (घ) के अर्थ के अन्तर्गत मेरे कुटुम्ब का एक सदस्य है।

3. मैं घोषणा करता हूं कि मेरा उक्त नियमों के नियम 2 के खण्ड (घ) के अर्थ के अन्तर्गत कोई कुटुम्ब नहीं है और यदि इसके पश्चात् मेरा कोई कुटुम्ब होता है तो उक्त नामनिर्देशन शून्य हो जाएगा और उस दशा में मैं प्ररूप 2 में एक नया नामनिर्देशन करूंगा ।

4. (क) मेरा पिता/माता/माता-पिता मुझ पर आश्रित नहीं है/है।

(ख) मेरे पति का पिता/माता/माता-पिता मेरे पति पर आश्रित नहीं है/हैं।

नामनिर्देशिती

नामनिर्देशिती का नाम और पता	नामनिर्देशिती का नियोजित व्यक्ति से संबंध	नामनिर्देशिती की आयु
(1)	(2)	(3)

विवरण

1. नियोजित व्यक्ति का पूरा नाम
2. लिंग
3. धर्म
4. क्या अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर है ?
5. विभाग/शाखा/अनुभाग जहां नियोजित है।
6. टिकट संख्या या क्रम संख्या, यदि कोई हो, सहित धारित पद
7. नियुक्ति की तारीख
8. वर्तमान पता :

ग्राम————थाना————उपखण्ड————डाकघर————

जिला————राज्य

स्थान .....
तारीख .....

नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर :
अंगूठा निशान

साक्षियों द्वारा घोषणा

मेरे समक्ष नामनिर्देशन पर हस्ताक्षर किए गए/अंगूठा निशान लगाए गए

पूरा नाम और पूरा पता	साक्षियों के हस्ताक्षर
1.	1.
2.	2.

स्थान .....
तारीख .....

नियोजक का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वोक्त नामनिर्देशन की विशिष्टियों को सत्यापित कर लिया गया है और क्रम सं.———— पर प्ररूप 4 में नामनिर्देशन के रजिस्टर में अभिलिखित कर लिया गया है ।

स्थान .....
तारीख .....

नियोजक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदाभिधान
खान का नाम और पता या उसकी रबड़ की मोहर।

नियोजित व्यक्ति की अभिस्वीकृति

मेरे द्वारा फाइल किए गए और नियोजक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित प्ररूप 1 में नामनिर्देशन की दूसरी प्रति प्राप्त की।

स्थान .....
तारीख .....

नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर

टिप्पण : जो शब्द और पैरा लागू न हों, उन्हें काट दें।

प्ररूप 2

[नियम 3 का उपनियम (4) देखिए)]

नया नामनिर्देशन

सेवा में,

(यहां खान के नाम और पूरे पते सहित नियोजक का नाम और पता दें)

मैंने——————————————————————————————

(यहां पूरा नाम दें)

जिसकी विशिष्टियां नीचे विवरण में दी गई हैं, असंवितरित मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1988 के नियम 2 के खंड (च) के अर्थ के अन्तर्गत नीचे उपदर्शित रीति में——————————(यहां तारीख दें)——————————से कुटुम्ब अर्जित कर लिया है और इसलिए मैं मजदूरी के रूप में मुझे देय सभी रकम प्राप्त करने के लिए नीचे वर्णित व्यक्ति को नए सिरे से नामनिर्देशित करता हूं यदि ऐसी रकम का संदेय के पूर्व मेरी मृत्यु के कारण या मेरा पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण संदाय न किया जा सके या न किया जा सकता हो।

2. मैं यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति उक्त नियमों के नियम 2 के खंड (घ) के अर्थ के अन्तर्गत मेरे कुटुम्ब का एक सदस्य है।

3. (क) मेरे पिता/माता/माता-पिता मुझ पर आश्रित हैं/नहीं हैं।

(ख) मेरे पति के पिता/माता/माता-पिता मेरे पति पर आश्रित हैं/नहीं हैं।

नामनिर्देशिती

नामनिर्देशिती का नाम और पता	नामनिर्देशिती का नियोजित व्यक्ति से संबंध	नाम-निर्देशिती की आयु
1	2	3

"कुटुम्ब" अर्जित करने की रीति

(यहां इस बाबत ब्यौरे दें कि कुटुम्ब किस प्रकार अर्जित किया गया है, क्या विवाह द्वारा या माता-पिता के आश्रित हो जाने पर या दत्तक-ग्रहण जैसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से)

विवरण

1. नियोजित व्यक्ति का पूरा नाम
2. लिंग
3. धर्म
4. क्या विवाहित/अविवाहित/विधवा/विधुर है?
5. विभाग/शाखा/अनुभाग जहां नियोजित है।
6. टिकट सं. या क्रम सं. यदि कोई हो, सहित धारित पद

7. नियुक्ति की तारीख

8. वर्तमान पता

9. स्थायी पता

ग्राम———————थाना———————उपखंड———————डाकघर———————
जिला———————राज्य———————

स्थान———————

तारीख———————

नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

साक्षियों की घोषणा :—

मेरे सामने नए नाम निर्देशन पर हस्ताक्षर किए गए/अंगूठा निशान लगाया गया।

पूरा नाम और पूरा पता	साक्षियों के हस्ताक्षर
1.	1.
2.	2.

स्थान———————

तारीख———————

नियोजक द्वारा प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नाम-निर्देशन की विशिष्टियों को सत्यापित कर लिया गया है और क्रम सं.——— पर प्ररूप 4 में नाम निर्देशन के रजिस्टर में अभिलिखित किया गया है।

नियोजक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पदाभिधान

स्थान———————

तारीख———————

खान का नाम और पता या उसकी रबड़ स्टाम्प

नियोजित व्यक्ति की अभिस्वीकृति

मेरे द्वारा फाइल किए गए और नियोजक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित प्ररूप-2 में नाम निर्देशन की दूसरी प्रति प्राप्त की गई।

नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान———————

तारीख———————

टिप्पण :— जो शब्द और पैरा लागू न होते हों उन्हें काट दें।

प्ररूप 3

[नियम 3 का उपनियम (6) देखिए]

नाम-निर्देशन का उपांतरण

सेवा में,

(यहां खान के नाम और पूरे पते सहित नियोजक का नाम और पता दें)

मैं————————————————————————

(यहां पूरा नाम दें)

जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं, यह सूचना देता हूं कि————————को मेरे द्वारा फाइल किया गया और————तारीख————————में.————————को आपके निर्देश सं. के अधीन अभिलिखित नाम निर्देशन निम्नलिखित रीति में उपांतरित हो जाएगा :—

(यहां आशयित उपांतरण के ब्यौरे दें)

विवरण

1. नियोजित व्यक्ति का पूरा नाम————————
2. लिंग
3. धर्म
4. क्या अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर है?
5. विभाग/शाखा/अनुभाग जहां नियोजित है
6. टिकट सं. या क्रम सं., यदि कोई हो सहित धारित पद
7. नियुक्ति की तारीख,
8. वर्तमान पता
9. स्थायी पता

ग्राम————————थाना————————उपखंड————————डाकघर————————जिला————————
राज्य————————

नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

स्थान————————
तारीख————————

साक्षियों की घोषणा

मेरे समक्ष नाम निर्देशन के उपांतरण पर हस्ताक्षर किए गए/अंगूठा निशानी लगाई गई

पूरा नाम और पता	साक्षियों के हस्ताक्षर
1.	1.
2.	2.

स्थान————————

तारीख————————

नियोजक द्वारा प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वोक्त उपान्तरण अभिलिखित किया गया और क्रम सं. ——————————पर प्ररूप 4 में नाम-निर्देशन के रजिस्टर मे प्रविष्ट किया गया।

नियोजक प्राधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर

पदाभिधान

खान का नाम और पता या उसकी
रबर स्टाम्प

स्थान ——————————

तारीख ——————————

नियोजित व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति

नियोजक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित मेरे द्वारा फाईल किए गए प्ररूप 3 में नाम निर्देशन की सूचना की द्वितीय प्रति प्राप्त की गई।

नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान ——————————

तारीख——————————

टिप्पण: जो शब्द लागू न होते हों उन्हें काट दें।

प्ररूप 4

[नियम 4 की उपनियम (1) देखिए]

नाम निर्देशन का रजिस्टर

खान का नाम और पता

नियोजक का नाम और पता

भाग 1

क्रम सं.	नियोजित व्यक्ति का नाम और पूरा पता	नियोजन की प्रकृति	तारीख सहित प्ररूप 1 में प्रारम्भ में नामनिर्देशित/नाम-निर्देशिती का नाम और पूरा पता	तारीख सहित प्ररूप 2 में बाद में नाम-निर्देशित / नाम निर्देशिती का नाम और पता	तारीख सहित प्ररूप 3 में दिए गए नामनिर्देशन की सूचना में विनिर्दिष्ट उपान्तरण, यदि कोई हों, के ब्यौरे	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
1						

भाग 2

इसके अंतर्गत यथास्थिति प्ररूप 1 में नाम-निर्देशन और भाग 2 में नए नाम निर्देशन और भाग-1 में उपदर्शित क्रमानुसार भाग-3 में नामनिर्देशन के उपान्तरण की सूचना में से प्रत्येक की एक प्रति अंतर्विष्ट होगी ।

प्ररूप 5

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

प्रेषिती:

रजिस्ट्रीकृत

(यहां नियोजक का नाम और पूरा पता दें)

सेवा में

(यहां विहित प्राधिकारी का नाम और पता दें)

विषय:— असंवितरित मजदूरी की रकम का निक्षेप

श्रीमानजी

असंवितरित मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1988 के नियम 5 के उपनियम (2) के साथ पठित उपनियम (1) के अधीन यथाअपेक्षित रूप में ———————————रु. (रु. ———————————)
(रकम अंकों में दें। रकम शब्दों में दें)

रेखांकित मांग ड्राफ्ट जिसकी सं. ———————————तारीख———————————
(संख्या लिखें) (तारीख लिखें)

संलग्न करता हूं जो———————————से प्राप्त है और आपके नाम में है।
(बैंक का नाम और पता लिखें)

पूर्वोक्त वर्णित रकम ———————————में नियोजित व्यक्ति को मजदूरी के रूप में
(खान का नाम और पता लिखें)

देय सभी रकम रूपित करती है जो या तो इसलिए असंवितरित रहीं कि नियोजित व्यक्ति (यों) द्वारा कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया था या किसी कारणवश ऐसी रकम का नियोजित व्यक्ति (यों) के संबंधित नाम निदेशती (यों) को संदाय नहीं किया जा सका था। सुसंगत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

1. सुसंगत मजदूरी की कालावधि की विशिष्टियां———————————)
(मजदूरी कालावधि के ब्यौरे दें)

2. उन मामलों की सं. जिसमें मजदूरी के रूप में नियोजित व्यक्ति को देय रकम नाम निदेशन के अभाव के कारण असंवितरित रही थी (उपाबन्ध –1 के अनुसार ब्यौरे):— ———————————
(ऐसे मामलों की संख्या का उल्लेख करें)

3. उन मामलों की संख्या जिनमें मजदूरी के रूप में नियोजित व्यक्ति को देय सभी रकमों का नियोजित व्यक्ति (यों) द्वारा नामनिर्देशित (यों) को संदाय नहीं किया जा सका था (उपाबंध 2 के अनुसार ब्यौरे) ———————————
(ऐसे मामलों की संख्या का उल्लेख करें)

भवदीय

नियोजक प्राधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर
पदाभिधान
खान का नाम और पता या उसकी
रबर स्टाम्प।

स्थान ———————————

तारीख———————————

उपाबंध—1

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम और पता	मजदूरी कालावधि	देय रकम
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
		कुल :	

उपाबंध —2

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम और पता	नामनिर्देशिती का नाम और पता	मजदूरी कालावधि	देय रकम
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5				
			कुल	

[सं. एस-31012 /8 /82-डब्ल्यू सी (पी डब्ल्यू)]

पी. वेंकटाचलम, उप सचिव ।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 26th August, 1988

NOTIFICATION

G.S.R. 883(E).—The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (2), (3) and (4) of section 26 read with section 24 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), is hereby published, as required by sub-section (5) of section 26 of the said Act for information to all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of three months from the date of the publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title, application and extent.—(1) These rules may be called the Payment of Undisbursed Wage (Mines) Rules, 1988.

(2) These rules apply in respect of the payment of undisbursed wages to persons employed, either by the owner or by a contractor engaged by the owner in any mine to which the Mines Act, 1952 (35 of 1952), applies or in any oil-field.

(3) They shall extend to the whole of India.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936);

(b) "Chief Labour Commissioner (Central)" means an Officer appointed as such by the Central Government

(c) "employer" means the owner of the mine and includes a contractor, agent, manager or any other person responsible under section 3 of the Act for payment of wages and includes in the case of a deceased employer, his legal representative;

(d) "family" means,

(i) in case of a male employee, his wife or wives and children, whether married or unmarried, his dependent parents and widow and children of his deceased son;

(ii) in case of a female employee, her husband, her children, whether married or unmarried, her dependent parents, her husband's dependent parents and widows and children of her deceased sons;

(e) "Form" means a from appended to these rules;

(f) "Mines" means a mine as defined in clause (j) of section 2 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952);

(g) "person employed" or "employed person" or "employee" means a person employed in a mine or an oil-field to whom the Act applies and includes, in the case of a deceased employed person, his legal representative;

(h) "Prescribed Authority" means, in case of—

(i) mines owned or operated by the public sector undertakings of the Central Government or the State Government, the Chief Executive of the concerned public sector undertaking;

(ii) mines other than those covered under clause (i), but covered under the provisions of the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946, the Limestone and Dolomite Labour Welfare Fund Act, 1972 and the Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Welfare Fund Act, 1976, the Welfare Commissioners appointed under the provisions of the aforementioned Acts;

(iii) all other mines not covered under clauses (i) and (ii), the concerned Regional Labour Commissioner (Central);

(i) "section" means a section of the Act;

(j) "undisbursed wages" means amounts payable to an employed person as wages which could not or cannot be paid on account of his death before payment or on account of his whereabouts not being known;

(k) words and expressions used in these rules and not defined herein shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Nomination.—(1) A person who is already in employment on the date of the Payment of Undisbursed Wages (Mines) Rules, 1988, ordinarily within six months from such date, and a person who has been employed after the date of the commencement of the said rules, ordinarily within three months from the date he is employed, shall nominate a person conferring on him the right to receive all amounts payable to him as undisbursed wages, and such nomination shall be in Form I and submitted in duplicate by the employed person by personal service, after taking proper receipt thereof or by sending through registered post with acknowledgement due to the employer:

Provided that the nomination shall be accepted by the employer even after the expiry of the specified period if filed with reasonable grounds for delay and no nomination so accepted shall be invalid mainly because it was filed after the expiry of the specified period.

(2) Within thirty days from the receipt of the nomination under sub-rule (1), the employer shall get the service particulars of the employed person as mentioned in the form of nomination, verified with reference to records of the mines and a duly attested copy of the Form I by the employer shall be given to the employed person.

(3) If, at the time of making a nomination an employed person has a family, the nomination shall not be in favour of a person other than the members of his family.

(4) If at the time of making the nomination, the employed person has no family, the nomination may be made in favour of any person but as soon as the employed person subsequently acquires a family, such nomination shall become invalid forthwith and the employed person shall, within thirty days of acquiring a family, submit a fresh nomination in duplicate in Form II to the employer and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply mutatis mutandis, as if it was made under sub-rule (1).

(5) If the nominee pre-deceases an employed person, the interest of the nominee shall revert to the employed person who shall within a period of thirty days from the death of the nominee make a fresh nomination in the manner hereinafter provided for.

(6) A notice of modification of a nomination including cases where a nominee pre-deceases an employed person shall be submitted in duplicate in Form III to the employer in the manner specified in sub-rule (1) and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply mutatis mutandis as if it was made under sub-rule (1).

(7) The employed person shall not nominate a person who is a minor.

(8) A nomination or a fresh nomination or a notice of modification of nomination shall be signed by the employed person or if illiterate, bear his thumb impression in the presence of two witnesses who shall also sign a declaration to that effect in the nomination/fresh nomination or a notice of modification of nomination as the case may be.

(9) A nomination or a fresh nomination or a notice of modification of nomination shall take effect from the date of receipt thereof by the employer.

4. Register of nominations.—(1) The employer shall record and file all nominations, fresh nominations and notices of modification of nominations, as the case may be, in the register of nominations which shall be maintained chronologically by him in Form IV.

(2) The register of nominations shall be maintained by the employer up-to-date and kept permanently at the workspot or where the employer experiences difficulty in keeping them at the workspot, at any other suitable place as may be approved by the Prescribed Authority in this behalf.

5. Deposit of amounts of undisbursed wages:—(1) Where all amounts payable as wages to a person employed in an establishment in relation to mines remain undisbursed because either no nomination has been made by the employed person or for any reasons, such amounts could not be paid to the nominee of the employed person until the expiry of three years from the date the same had become payable, all such amounts shall be deposited by the employer with the Prescribed Authority before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of three years.

(2) The amounts referred to in sub-rule (1) shall be deposited by the employer through crossed demand draft obtained from any scheduled bank in India drawn in favour of the Prescribed Authority, and such demand draft shall be submitted by the employer to the Prescribed Authority together with relevant details in Form V by registered post.

6. Manner of dealing with the undisbursed wages: (1) The amount deposited with the Prescribed Authority shall remain with the Prescribed Authority for four years and be invested in the Central or State Government securities or deposited in the nationalised banks.

(2) As soon as possible, the Prescribed Authority will exhibit at least for fifteen days on the notice board of the mine (s) and shall also publish in any two newspapers circulating in the language commonly understood in the area of the mine(s) in which undisbursed wages were earned.

(3) The Prescribed Authority shall release the money to the nominee or to that person who has claims to this money and which has been decided by the competent authority/court.

(4) The amount deposited shall, after a lapse of four years from the date the amount is deposited with the Prescribed Authority by the employer, be applied by the Prescribed Authority to meet the expenditure incurred in connection with the measures which in his opinion are expedient to promote the welfare of persons employed in mines and in particular to defray the cost of measures for the benefit of persons employed in the mines directed towards,—

(i) the provision and improvement of educational facilities;

(ii) the provision and improvement of recreational facilities;

(iii) the provision and improvement of family welfare including family planning;

(iv) the provision and improvement of vocational training, rehabilitation of disabled and handicapped persons; and

(v) the provision and improvement of transport facilities.

(5) The expenditure incurred in connection with the measures referred to in sub-rule (4) either by an employer in relation to a mine or a trade union registered under the Trade Unions Act, 1926 of persons employed in a mine may be reimbursed to the person concerned by the Prescribed Authority either wholly or partly at his discretion, provided he is satisfied that the expenditure has been actually incurred by that person for bonafide purpose as specified in sub-rule (4).

FORM I

(See sub-rule (1) of rule 3)

Nomination

To

(Give here name and address of employer together with name and full address of the mine).

I.....

(name in full here)

whose particulars are given in the statement below hereby nominate the person mentioned below to receive all amounts payable to me as wages if such amounts could not or cannot be paid on account of my death before the payment or on account of my whereabouts not being known.

2. I hereby certify that the person nominated by me is a member of my family within the meaning of clause(d) of rule 2 of the Payment of Undisbursed Wages (Mines) Rules 1968.

3. I hereby declare that I have no family within the meaning of clause (3) of rule 2 of the said rules and should I acquire a family hereafter, the above nomination shall be void and in that event I shall make a fresh nomination in Form II.

4. (a) My father/mother/parents is/are not dependent upon me.

(b) My husband's father/mother/parents is/are not dependent on my husband.

Nominee

Name and address of the nominee	Nominee's relationship with the employed person.	Age of nominee
1	2	3

Statement

1. Name of the employed person in full.
2. Sex.
3. Religion.
4. Whether unmarried/married/widow/widower.
5. Department/branch/section where employed.
6. Post held with ticket number or, serial number if any.
7. Date of appointment.
8. Present address:
9. Permanent address:

Village..... Thana ..... Sub-division..... Post Office.....

District..... State.....

Place..... Signature/thumb impression of the employed person.

Date.....

Declaration by witnesses

Fresh/Nomination signed/thumb-impressioned before me

Name in full and full address Signature of witnesses

1. 1.
2. 2.

Place.....

Date.....

Certificate by the employer.

Certified that the particulars of the above nomination have been verified and recorded in the register of nominations in Form IV at serial number.....

Signature of the employer/ officer authorised

Place..... Designation

Date..... Name and address of the mine or rubber Stamp thereof.

Acknowledgement of the employed person

Received the duplicate copy of the nomination in Form II filled by me and duly certified by the employer.

Place..... Signature of the employed person

Date.....

Note: Strike out the words and paragraphs not applicable.

FORM II

[See sub-rule (4) of rule 3]

Fresh nomination

To

(Give here name and address of employer together with name and full address of the mine).

I.....

(name in full here)

whose particulars are given in the statement below have acquired a family within the meaning of clause (d) of rule 2 of the Payment of Undisbursed Wages (Mines) Rules, 1988 with effect from.....(date here) (in the manner indicated below and therefore nominate afresh the person mentioned below to receive all amounts payable to me as wages if such amounts could not or cannot be paid on account of my death before the payment or on account of my whereabouts not being known.

2. I hereby certify that the person nominated by me is a member of my family within the meaning of clause(d) of rule 2 of the said rules.

3. (a) My father/mother/parents is/are not dependent upon me.

(b) My husband's father/mother/parents is/are not dependent on my husband.

Nominee

Name and address of the nominee	Nominee's relationship with the employed person	Age of nominee
1	2	3
1		
2		
3		

Manner of acquiring a "family"

(Here give details as to how a family was acquired, whether by marriage or parents being rendered dependent or through other process like adoption).

Statement

1. Name of the employed person in full.
2. Sex.
3. Religion.
4. Whether married/unmarried/widow/widower.
5. Department/branch/section where employed.
6. Post held with ticket number or serial number, if any.
7. Date of appointment.
8. Present address.

9. Permanent address.

Village..... Thana.....Sub-division.....Post Office.....

District.....State.....

Place .....

Date.....

Signature/thumb impression of the employed person

Declaration of witnesses

Fresh nomination signed/thumb impressioned before me.

Name in full and full address.

1.

2.

Signature of witnesses.

1.

2.

Place .....

Date.....

Certificate by the employer.

Certified that the particulars of the above nomination have been verified and recorded in register of nominations in Form IV at serial number.....

Signature of the employer/officer authorised

Designation

Name and address of the mine or rubber stamp thereof.

Place .....

Date.....

Acknowledgement of the employed person

Received the duplicate copy of the nomination in Form II filed by me and duly certified by the employer.

Signature of the employed person

Place.....

Date.....

Note: Strike out the words and paragraphs not applicable.

Form-III

[See sub-rule (6) of rule 3]

Modification of Nomination

To

(Give here name and address of employer together with name and full address of the mine)

I .....
(name in full here)

whose particulars are given below hereby give notice that the nomination filed by me on..... and recorded under your reference Number.....date ..... Number ..... dated ..... shall stand modified in the following manner :—

(Here give details of the modifications intend).

Statement

1. Name of the employed person in full.
2. Sex.
3. Religion.
4. Whether unmarried/married/widow/widower.
5. Department/Branch/Section where employed.
6. Post held with ticket number or, serial number, if any.
7. Date of appointment.
8. Present address.
9. Permanent address.

Village ..... Thana ..... Sub-division ..... Post Office.....
District ..... State .....

Place .....

Date.....

Signature/thumb impression of the employed person.

Declaration by witnesses

Modification of nomination signed/thumb-impressioned before me.

Name in full and full address

1.

2.

Signature of witnesses.

1.

2.

Place .....

Date.....

Certificate by the employer

Certified that the above modifications have been verified and recorded in register of nominations in Form IV a t serial number.....

Signature of the employer/Officer authorised.
Designation

Name and address of the mine or rubber Stamp thereof.

Place .....

Date.....

Acknowledgement by the employed person

Received the duplicate copy of the nomination in Form I filed by me and duly certified by the employer.

Signature of the employed person

Place .....

Date.....

Note: Strike out the words and paragraphs not applicable.

Form-IV

[See sub-rule (1) of rule 4]

Register of nominations

Name and address of the mine..... Name and address of the employer.....

PART-I

S.No.	Name and complete address of the employed person.	Nature of Employment	Name and complete address of the nominee initially nominated in Form I with date	Name and address of the nominee subsequently nominated in Form II with date	Details of Modification if any specified in the notices of modification of the nomination given in Form III with date	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

PART-II

It shall contain one copy each of the nomination in Form I and as the case may be, the fresh nomination in Form II and notice of modification of nomination in Form -III in serial order indicated in Part-I.

FORM V

[See sub-rule (2) of rule 5]

From: REGISTERED.

(Give here name and complete address of the employer)

To

(Give here name and address of the Prescribed Authority).

Subject: Deposit of amounts of undisbursed wages.

Sir,

As required under sub-rule (1) read with sub-rule (2) of rule 5 of the Payment of Undisbursed Wages (Mines) Rules, 1988, I enclose the crossed demand draft bearing number..... dated .....
(mention the number) (mention the date)
for Rs. .....(Rupees.....drawn in your
(mention the amount in figures) (mention the amount in words)
fauour obtained from ..... The above mentioned amounts
(mention the name and address of the bank.)
represent all amounts payable as wages to persons employed in .....
(mention the name and address of the mine)
which remained undisbursed because either no nomination had been made by the employed person(s) or for any reasons such amounts could not be paid to the respective nominee(s) of the employed persone(s). The relevant details are furnished hereunder.

(1) Particulars of the relevant wage-period:.....
(mention the details of the wage period)

(2) Number of cases in which all amounts payable to an employed persons as wages, remained undisbursed for want of nomination (details as per Annexure-I): .....
(mention the number of such cases).

(3) Number of cases in which all amounts payable to an employed persons as wages could not be paid to person(s) nominated by employed persons(s) (details as per Annexure-II). .....
(mention the number of such cases).

Yours faithfully,

Signature of the employer/Officer authorised.

Designation:

Name and address of the mine or rubber stamp thereof.

Place:

Dated:

Annexure-I

S.No.	Name and address of the employee	Wage period	Amount Payable
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
		TOTAL:	

Annexure-II

S.No.	Name and address of the employee	Name and address of the nominee	Wage Period	Amount Payable
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
			TOTAL:	

[No. S-31012/8/82-WC(PW)]

Mrs. P. VENKATACHALAM, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989